

19/3/21

वकुलाप इफो | P. D. पालना  
इलाहाबाद | P. D. पालना  
हेतु डिमांड 26/3/21  
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं  
उपसंयुक्त अधिकारी, बाबू

26/3/2021

पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी  
दिगम कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से  
पत्रावली ईलतुवा होकर दिनांक 9/4/2021  
को पेश हो।

Handwritten signature

9/4/2021

पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी  
दिगम कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से  
पत्रावली ईलतुवा होकर दिनांक 23/4/2021  
को पेश हो।

Handwritten signature

23/4/2021

केविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के  
निर्देशों की पालना में कोर्ट कार्यवाही स्थगित  
रखी गई थी जिसे राज्य सरकार के मार्गदर्शन  
के बाद पुनः जारी की जाकर पत्रावली आईन्दा  
दिनांक 9/7/21 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं  
उपसंयुक्त अधिकारी, बाबू

21/7/21  
Handwritten notes and signature

9/7/2021

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थित।  
तहसीलदार बाबू से विभाजन प्रस्ताव/  
प्राथमिकिकि पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई  
जो शामिल मिसल की गई। उभय  
पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव अनुसार  
बैठताडे हेतु सहमत होने से पत्रावली  
वास्तु आदेवार्थ दिनांक 16/7/2021  
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं  
उपसंयुक्त अधिकारी, बाबू

16/7/2021

पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी  
दिगम कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से  
पत्रावली ईलतुवा होकर दिनांक 23/7/2021  
को पेश हो।

Handwritten signature



## फर्द अहकाम

(नियम 26)

मदालत

मुकाम

बनाम

मुकदमा

नं.

सन्

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

2/2021

पत्रावली पेशा हुई। तकील बाकी गण व प्रतिवादी गण उमदिर उभय पक्षकारण विभाजन प्रस्ताव संयुक्त संवादों हेतु सहमत होने से तहसीलदार बाकी द्वारा प्राथमिक डिफेंडि विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बाकी को आदेशित किया जाता है कि वादगृह आसपी ग्राम उमदिर के खेत खसरा संख्या 73/13 रकबा 7.3862 हेक्टेयर शुमि का वादीगण व प्रतिवादी गण द्वारा तहसीलदार बाकी के प्राथमिक विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाने से वादी गण एवं प्रतिवादी गण के मध्य उभय खेत खसरे का विभाजन बाई मिन्स एन्ड वाकण्डस अनुसार किया जावे। अंतिम डिफेंडि फर्दा जारी हो। तहसीलदार बाकी को आदेश के पालनार्थ तहसीर जारी हो। पत्रावली कैसल शुमार होकर दाखिल खसरा हो। कैसल खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रहायक कलेक्टर एवं  
उपसह अधिकारी, बाकी